कोटेशन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0 प्र0,लखनऊ के पत्र संख्या 310/सीईओ–3 दिनांक 17 मार्च,2019 में प्राप्त निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 में दृष्टिगत मतदान के दिन मॉक पोल की पर्चियों के सुरक्षित रख–रखाव के लिए प्रत्येक बूथ पर काले रंग का एक मोटा लिफाफा, तथा 14इंचX10इंचX5इंच (लम्बाईXचौडाईXउंचाई) का एक प्लास्टिक बाक्स प्रत्येक बूथ के लिए तथा मतगणना के समय वीवीपैट की पर्चियों को रखने के लिए ट्रे की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 02.04.2019 तक कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन में अंकित दरों में सभी कर भी सम्मिलित मानी जायेगीं अलग से किसी भी प्रकार के कर देय नहीं होगा। कोटेशन को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सन्निहित रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0 प्र0,लखनऊ द्वारा निर्धारित मानक कोटेशन स्वीकृत होने पर संबंधित फर्म को अल्प समय पर ही आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक बूथ पर काले रंग का एक मोटा लिफाफा, तथा 14इंचX10इंचX5इंच (लम्बाईXचौडाईXउंचाई) का एक प्लास्टिक बाक्स प्रत्येक बूथ के लिए तथा मतगणना के समय वीवीपैट की पर्चियों को रखने के लिए ट्रे की सत्यापन/जांच प्रभारी अधिकारी लेखन सामग्री से कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जौनपुर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,जौनपुर

संख्या 1458 /निर्वाचन दिनांक 27 मार्च,2019

प्रतिलिपि–
1– जिला निर्वाचन कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशनार्थ ।
2–विकास भवन/कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(एन0आई0सी0) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन जौनपुर एन0आई0सी0 पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–स्थानीय फर्म स्वामियों को ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जौनपुर।